राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून
संख्याः 2748./2021
देहरादून, दिनांक 29-09-2021

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1, 1904) की धारा 21 सपठित उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 234 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2020 में अग्रेतर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख और संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 14 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2020 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 14 के उपनियम (5) में 'इक्कीस दिनों' के स्थान पर 'दस दिनों' शब्द रखे जायेंगे।

नियम 18 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 18 के उपनियम (2) के अंत मे "प्रत्येक सम्पत्ति संख्या के प्रपत्र–9 के साथ सम्पत्ति का नजरी नक्शा जो तकनीकी ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, संलग्न किया जायेगा" शब्द अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे।

(आयुक्त एवं सचिव)
राजस्व परिषद